

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रथम अपील

सेवा में,

.....

(प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यरत
अधिकारी का पदनाम और पता)

क : अपीलार्थी से सम्पर्क हेतु आवश्यक विवरण

1- अपीलार्थी का नाम	
2- डाक का पता, सेल-फोन नम्बर और ई-मेल पता (यदि कोई हो)	

ख : शिकायत का विवरण:

1- उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का विवरण, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है	नाम (यदि उपलब्ध हो)
	पदनाम
	पता
2- राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने का दिनांक (राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत अनुरोध की एक प्रति अवश्य संलग्न की जाए)	
3- अपील के आधार (यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जाए तो ऐसे आदेश की एक प्रति अवश्य फाइल की जाए)	 (यदि उर्पयुक्त स्थान पर्याप्त न हो तो पृथक पृष्ठ लगायें)
4- प्रार्थना या मांगा गया अनुतोष	
5- यदि अपील विहित अवधि के पश्चात फाइल की जा रही हो तो विलम्ब का कारण	
6- उन दस्तावेजों की सूची जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और जिन पर वह निर्भर हो।	

.....
अपीलार्थी के हस्ताक्षर